

डिक्री बमुकदमें ईबतदाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी
पीठासीन अधिकारी:-उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:-452/2018

1. कुनणा पुत्री हरजीराम जाति जाट निवासी वार्ड नं. 6 तलवाड़ा झील तहसील
टिब्बी।
बनाम -वादीया

1. तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी। -प्रतिवादी

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते
इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री सुभाष पारीक वकील वादीया मिन जामिन
मुदई तहसीलदार टिब्बी प्रतिवादी मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है
व डिक्री दी जाती है कि:-वाद वादीया कुनणा स्वीकार किया जाता है कि चक नं. 4
टीएलडब्ल्यू के खाता संख्या 112/119 व चक नं. 5 टीएलडब्ल्यू के खाता संख्या
175/156 में वादीया का नाम कुनणी के स्थान पर प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर
कुनणा पुत्री हरजीराम जाति जाट निवासी वार्ड नं. 6 तलवाड़ा झील तहसील टिब्बी के
नाम की दुरुस्ती की जाती है। राजस्व अभिलेख में कुनणी के स्थान पर कुनणा पुत्री
हरजीराम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की
स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा
पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत.....निल.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा
शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक15/11/18.....अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक.....15/11/18.....को जारी
किया गया।



(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी